

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 330/2016

बउनवान

इमामुद्दीन पुत्र श्री अहमद नूर जाति—मुसलमान आयु 50 साल
निवासी ग्राम सीसवाली तहसील—मॉंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पॉडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक— 09.10.2017

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.4.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सीसवाली, तहसील—मॉंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 2344 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 1200/-रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालों की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है व जुर्माना राशि जमा करा दी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जुर्माना जमा कराने उपस्थित हुआ तथा जुर्माने पर हस्ताक्षर कराये थे। अपीलांट को सजा बाबत कोई सूचना नहीं दी है। सेट प्रफोर्मा पर बिना सूचना के सिविल कारावास की सजा दी गयी हे जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा जुर्माना राशि

जमा करायी थी। उस दिन सजायाब आदेश से अपीलान्ट को अवगत नहीं कराया था। निर्णय बाद में लिखा गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं है। वारंट जारी होने से जानकारी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया कि अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.4.16 को उपस्थित होने के उपरान्त भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जो निर्णय से स्पष्ट होता है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से ही छोड़ रखा है। निर्णय हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड नहीं है। निर्णय एकपक्षीय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.4.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलान्ट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 121/15 निर्णय दिनांक 12.3.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित हुआ है अपीलान्ट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया गया है। अपील में अपीलान्ट का यह कथन कि निर्णय आदेशिका दिनांक 26.4.16 में एकपक्षीय कार्यवाही लिखा गया है, अपीलान्ट का उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर पूर्व में मिसल नम्बर 121/15 निर्णय दिनांक 12.3.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.4.2016 के कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली का आदेश दिनांक 26.4.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)